अज अदालत लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

केम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत पीठासीन अधिकारी डॉ.नरेश सोनी R.A.S

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सुकीदेवी पत्नी तगराजजी जाति रावल निवासी मनादर तह0 शिवगंज		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

–:आदेशः– प्रा0पत्र सं.– 28/2020

दिनांक 13.05.2023

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा मनादर–2 पटवार हल्का मनादर–2 तहसील शिवगंज के खसरा नं0 2779/5 रकबा 0.9632 हैक्टयर व खसरा नं0 2779/6 रकबा 0.9551 हैक्टयर कुल रकबा 1.9183 हैक्टयर भूमि आई हुई है नक्शे लटठे में की गई तरमीम व मौके की स्थिति में भिन्नता है। अतः प्रार्थीया द्वारा उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व नक्शें में न्यायहित में शुद्धी किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो एवं मौका जांच अनुसार प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा मनादर–2 पटवार हल्का मनादर–2 तहसील शिवगंज के खसरा नं0 2779/5 रकबा 0.9632 हैक्टयर व खसरा नं0 2779/6 रकबा 0.9551 हैक्टयर कुल रकबा 1.9183 हैक्टयर भूमि आई हुई है। नक्शे लटठे तरमीम अनुसार उपरोक्त खातेदार की कृषि की 1–00 बीघा भूमि मय टयूबवेल गै0मु0 नाला की भूमि में आता है जबकि प्रार्थीया की कब्जेशुदा भूमि की पैमाईश करने पर उपरोक्त 1–00 बीघा भूमि को शामिल करते हुए राजस्व रेकर्ड अनुसार पूर्ण होती है। जिसे तहसीलदार शिवगंज ने मौका एवं रेकर्ड अनुसार दुरस्त किये जाने को उचित बताया गया है।

पत्रावली आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प शिवगंज में पेश हुई जिसमें दोनों पक्षकारान की आपसी राजीनामा से तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शें में तरमीम शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया। लोक अदालत में राजीनामा, दस्तोवजी साक्ष्य एंव तहसीलदार शिवगंज की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नक्शे अनुसार मौजा मनादर–2 पटवार हल्का मनादर–2 तहसील शिवगंज के खसरा नं0 2779/5 रकबा 0.9632 हैक्टयर व खसरा नं0 2779/6 रकबा 0.9551 हैक्टयर कुल रकबा 1.9183 हैक्टयर भूमि की तरमीम शुद्धी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया ।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2023 को रा0 लोक अदालत में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

3/8
13/5/2023

(डॉ. नरेश सोनी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)